



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-269990
CG-DL-E-10022026-269990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 622]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 656(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2333 (अ), दिनांक 08 जुलाई, 2016 द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-48 (नया एनएच-75), बेंगलूर से मंगलूर खंड के किमी 189.500 से किमी 237.000 तक और किमी 263.000 से किमी 328.000 तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, परवर्ती संशोधनों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-75 (पुराना एनएच-48) पर अडाहोल से बंटवाल खंड के किलोमीटर 311+040 - किलोमीटर 314+080 में कल्लडका टाउन पर 6-लेन फ्लाईओवर सहित डिजाइन किलोमीटर 255+140 से किलोमीटर 318+755 तक (विद्यमान किलोमीटर 263+000 से किलोमीटर 328+000 तक) के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 60.6544 कि.मी. की निवल सड़क खंड लंबाई (सारणी-2) तथा 29.606 कि.मी. (2.9606 किलोमीटर की लंबाई वाली) (सारणी-3) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2)

में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कर्नाटक राज्य में दक्षिण कन्नड़ जिले के वल्लाल गांव के पास कि.मी. 284+190 पर	60.6544 किमी (60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई* (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
कर्नाटक राज्य में दक्षिण कन्नड़ जिले के वल्लाल गांव के पास कि.मी. 284+190 पर	2.9606	29.606	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का व्योरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	से (किमी)	तक (किमी)		
1	257+392	257+467	हाथी अधोपारक	0.075
2	266+923	266+998	हाथी अधोपारक	0.075

3	269+880	269+955	हाथी अधोपारक	0.075
4	317+695	318+081	बड़ा पुल	0.386
5	292+562	292+752	बड़ा पुल	0.190
6	311+555	313+715	फ्लाईओवर	2.160
	60 मीटर से अधिक कुल संरचना लंबाई			2.961

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340/-रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यत की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2210.27 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन-सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. पीआरओजे-11016(83)/13/2024-पीआईयू मैंगलोर/ई-247670]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 656(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.2333 (E), dated the 8th July, 2016 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch of NH - 48 (New NH-75), Bangalore to Managlore Section from Km 189.500 to Km 237.000 and from Km 263.000 to Km 328.000 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the “Authority”).

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and subsequent amendments (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 60.6544 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 29.606 km of structure (having length 2.9606 km [Table-3]) on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for use of four or more lane of Addahole to Bantwal section from design kilometer 255+140 to km 318+755 (existing km 263+000 to km 328+000) including 6-lane Flyover at Kalladka Town in Km. 311+040 - km. 314+080 on National Highway No. NH-75 (old NH-48) in the state of Karnataka and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza (s) namely:

Table 2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 284+190 near Vallal Village in Dakshina Kannada District in the State Karnataka	60.6544 (Excluding length of Structures >60m)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length.	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 284+190 near Vallal Village in Dakshina Kannada District in the State Karnataka	2.9606	29.606	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table 1 above

*The details of structures having length more than 60m are as under:-

Sl No	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From	To		
1	257+392	257+467	Elephant Under Pass	0.075
2	266+923	266+998	Elephant Under Pass	0.075
3	269+880	269+955	Elephant Under Pass	0.075
4	317+695	318+081	Major Bridge	0.386
5	292+562	292+752	Major Bridge	0.190
6	311+555	313+715	Flyover	2.160
	Total Structure Length which are >60m			2.961

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 340/- (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-2026 and is subject to revision every year as per the provisions of said Fee Rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 2210.27 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc., are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-11016(83)/13/2024-PIU Mangalore/E-247670]

CHETNA NAND SINGH, Joint Secy.